

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा  
केम्प कोर्ट - गागेडा

बडजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 221 / 2018

1. घीसा पिता पन्ना बलाई निवासी - रूपाहेली तहसील हुरडा ।

-वादीगण

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा बनाम

-प्रतिवादीगण

प्रेषित:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से घीसा प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार हुरडा की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 25.05.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर मौजा रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली तहसील हुरडा कि आराजी न0 749, 750, 752 किता 3 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार घीसा, पन्ना पिता रामचन्द्र के स्थान पर घीसालाल पिता पन्नालाल, शान्ति, नौसर पुत्रियों पन्नालाल को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 25.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वादे के खर्चे

उपसहायक कलेक्टर  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
गुलाबपुरा केम्प



वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रुपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील	00	00			
8. स्टाम्प	00	00			
योग:-	00	00		00	00